पार्टे
2/10/15

संख्या-525 /1-10-2015-33(57)/2013

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलिया, मऊ, गौतमबुद्धनगर, महराजगंज, गाजीपुर, आजमगढ़ एवं कन्नौज ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 08 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपदों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैवी आपदाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपदों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिये सम्बन्धित जनपदों को निम्नानुसार रू0 1,67,35,965/- (रूपये एक करोड़ सड़सठ लाख पैंतीस हजार नौ सौ पैंसठ मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम पत्रांक व दिनांक	मांगी गयी धनराशि (रूपये में)	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	बलिया, 1551, दिनांक 27.06.2015	33,99,365	33,99,365
2	मऊ, 53, दिनांक 07.05.2015	20,67,900	20,67,900
3	गौतमबुद्धनगर, अर्द्ध0 शा0 प0 सं0-710, दिनांक 03.07.2015	13,09,800	13,09,800
4	महराजगंज, 1182, दिनांक 03.07.2015	34,20,000	34,20,000
5	गाजीपुर, 1518, दिनांक 12.08.2015	15,28,900	15,28,900
6	आजमगढ़ 961,दिनांक 18.08.2015	34,20,000	34,20,000
7	कन्नौज, [illegible], दिनांक 21.08.2015	15,90,000	15,90,000
		योग रू0	1,67,35,965

3- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-09-क्षमता निर्माण-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा ।

4- शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई बचतें सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जाये।

5- किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापित न किया जाये। वित्तीय हस्तपुस्तिका/वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

6- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

7- व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,

(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-525 (1)/1-10-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम, आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0
4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एन0आई0सी0.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
8- समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव।